राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बाघाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बाघाना

प्रकरण सं.– 68/2010 रे0वा0 निर्णय दिनांक– 22.06.2015

अनवान

1. श्री उदयसिंह पुत्र जोराजी जाति रावत निवासी खीमागुढा बाघाना तहसील भीम
2. श्रीमति पनु बाई पत्नि जोराजी जाति रावत निवासी खीमागुढा बाघाना तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री रूपसिंह पिता हामसिंह जाति रावत निवासी खीमागुढा बाघाना तहसील भीम
2. श्री माधो सिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत निवासी खीमागुढा बाघाना तहसील भीम
3. श्री शंकरसिंह पुत्र रामसिंह जाति रावत निवासी खीमागुढा बाघाना तहसील भीम
4. श्रीमति फेफी पुत्री रामसिंह जाति रावत निवासी खीमागुढा बाघाना तहसील भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 एवं 188 आरटीए

यह कि वादीगण के पिता जोरासिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा खीमागुढा पटवार मण्डल बाघाना तहसील भीम में निम्न वर्णित आराजियात आई हुई है:–

खसरा नं.	रकबा		
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी
2	02	13	00
3	00	01	00
4	01	07	00
5	00	10	10
6	00	03	10
7	00	01	00
8	00	04	00
10	01	13	00
11	00	07	00
12	00	07	00
14	00	03	00
15	00	02	00
116	00	05	05
17	00	04	00
18	14	03	00
कुल किता 15 रकबा 22 बीघा 04 विस्वा 5 विस्वांसी			

कलेक्टर एवं
अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

यह कि जोरा की वादी संख्या 1 मात्र जायदा संतान है तथा जोरा जी की पत्नि श्रीमति पनु बाई होकर वो जीवित है व उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजियात का वादीगण निरंतर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण पनुबाई व जोरा जी ने कभी किसी को गोद नही लिया था न ही रामसिंह को गोद लिया, जब स्वयं वादी संख्या 1 जोरा का पुत्र था तो वादी संख्या 2 व जोरा का क्यो कर किसी को गोद लेने की आवश्यकता हुई व न ही कभी वादी संख्या 1 या जोरा ने किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक रीति रस्मों के अनुसार रामसिंह को गोद लिया था। तथा न ही कभी ऐसा कोई गोदनामे का दत्तक विलेख जोरा व श्रीमति पनु बाई द्वारा लिखवाया जाकर पंजीकृत करवाया गया था। फिर भी ग्राम पचायत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के पिता रामसिंह ने मिलीभगत कर वादीगण के साथ में अपना नाम भी दत्तक पुत्र के खोले जाने पर रामसिंह को गोद लेना अंकित नही किया था उसने कलम संख्या 11 की प्रविष्टी मे स्पष्ट रूप से उदयसिंह पुत्र जोरा का नाम ही लिखा था व 11 की प्रविष्टी में स्पष्ट रूप से उदयसिंह पुत्र जोरा का नाम ही लिखा था व उसकी पुष्टि हेतु गिरदावर द्वारा भी जाच की गई थी परन्तु बिना पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट के ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकारो से परे जाकर बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज के बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना मनमाफिक तरीके से बिना श्रैत्राधिकार के यह लिख दिया कि रामसिंह गोदी पुत्र है। इस कारण से तीनो के नाम अमल दरामद किया जाता है जबकि गोद पुत्र का कोई रिकार्ड है ही नही व न ही कभी रामसिंह को गोद लिया गया था व न ही ऐसा कोई रिकार्ड गोद पुत्र का ही है। तो फिर किस आधार पर ग्राम पचायत कैसे उक्त नामान्तकरण संख्या 2 खुलवा सकता है क्योकि

Scanned by CamScanner

ऐसा कोई दस्तावेज ही पंजीकृत नही है, मौखिक साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण सरपंच को खोलने का कोई अधिकार नही है न ही उनके क्षैत्राधिकार में ही ऐसी कोई बात नही है।

उक्त नामान्तकरण खुलवाने के पश्चात रामसिंह की मृत्यु पर चुपके चुपके प्रतिवादीगण ने उक्त रामसिंह के फौती दाखिल अपने नाम पर खुलवा दिये जबकि उनका कब्जा व हक अधिकार उक्त भूमि पर नही रहा था न ही है। वादीगण करीब 10 दिन पूर्व उक्त भूमि की नकल लेने हेतु पटवारी के पास गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि आधी से प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है तब वादीगण ने उक्त भूमि का रिकार्ड निकलवाया तो पता चला कि नामान्तकरण संख्या 2 के द्वारा गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम पर उक्त भूमि भी आ गई है। तत्पश्चात उक्त रिकार्ड प्राप्त कर वादीगण द्वारा यह वादपत्र पेश किया। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित जायदाद के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगणो को घोषित किया जावे।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बाघाना** मे पेश हुआ। प्रतिवादीगण माधोसिंह पुत्र रामसिह निवासी विरमगुडा की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान श्रीमति सायरी पत्नि माधोसिंह को कायम मुकाम मौके पर किये जाकर वारिसान घोषित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश एवं आपसी राजीनामे से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादी का नाम वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित जायदाद के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगणो को घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगणो का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner